न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची)

वाद सं०–MP-77 /2017

धारा–144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

धनंजय मुण्डा वगैरह .... प्रथम पक्ष

बनाम

गुरू मुण्डा वगैरह..................................द्वितीय पक्ष

	आदेश
12-06-18	प्रस्तुत वाद में आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि निम्न विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष जोरजबरजस्ती कब्जा करना चाहते है। द्वितीय पक्ष के हाथों शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए द्वितीय पक्ष के विरूद्ध धारा–144 द०प्र०सं० के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

भूमि का विवरणी

मौजा–रेलाडीह, थाना–बुण्डू, जिला–राँची

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहदी
99	1288	18 डी0	

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपना–अपना पक्ष दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष का पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं:–

1. विवादित जमीन आर0 एस0 खतियान में सोमा मुण्डारी वो सुखराम मुण्डा पे0–फागु मुण्डा के नाम से दर्ज है एवं रिमॉर्क कॉलम में सोमा मुण्डा दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत सोमा मुण्डा के वंशज है। मौजा–रेलाडीह खुँटकट्टी मौजा है एवं लगान रसीद धनंजय मुण्डा के नाम से निर्गत होता है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष दखलकार है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का किसी प्रकार का दावा नहीं बनता है। विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष जबरजस्ती कब्जा करना चाहते है। द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत सुखराम मुण्डा पे0–फागु मुण्डा के वंशज नहीं है।

2. द्वितीय पक्ष वास्तव में मौजा– रेलाडीह ,खाता संख्या–61 जो मांझी मुण्डा , रेंगरा मुण्डा एवं अन्य के नाम से दर्ज है। द्वितीय पक्ष को विवादित जमीन खाता संख्या–99 से कोई लेना देना नहीं है। विवादित जमीन में द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा– 144 के कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये है :–

1. विवादित जमीन मौजा–रेलाडीह, थाना–बुण्डू,जिला–राँची आर०एस० खाता संख्या–99, प्लॉट संख्या–1288, रकवा–18 डीसमील जमीन सर्वे खतियानी में सोमा मुण्डारी वो

12-06-18

सुखराम मुण्डारी पे०–फागु मुण्डारी के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत सोमा मुण्डारी के वंशज है एवं द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत सुखराम मुण्डारी के वंशज है। द्वितीय पक्ष 09 डीसमील जमीन पर दखलकार है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को परेशान करने के नियत से मुकदमा दायर किया गया है। विवादित जमीन उभय पक्ष की संयुक्त संपति है, जो धारा–144 द0 प्र0 सं0 के तहत कार्यवाही संभव नहीं है। उन्होने वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

1/c

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एव उभय पक्ष के द्वारा दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर दावा कर रहे है एवं द्वितीय पक्ष विवादित जमीन को खतियानी रैयत के आधार पर दावा कर रहे है। विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में स्वत्व एवं बँटवारा को लेकर विवाद प्रतीत होता है। जो दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। आहत पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते है। अतएव् अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

3/c

लेखापित एवं संशोधित

Sd/- 12/06/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

Sd/- 12/06/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:13:53 +05:30
Location: 10.93.79.10